प्रेस विज्ञप्ति

13-01-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, श्रीमती पूनम वाधवानी और मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 30.10.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 12.01.2026 को धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के तुकोगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर में विशेष रूप से किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी और अन्य पर अवैध रूप से अर्जित धन को वैध आय में परिवर्तित करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से सरकार को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

सीजीएसटी विभाग ने मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड द्वारा किए जा रहे अवैध सिगरेट व्यापार के बीच सीधा संबंध स्थापित किया है। एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड अवैध सिगरेट वितरण में लिप्त पाई गई है। यह पाया गया कि किशोर वाधवानी और उसके साथियों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए सर्कुलेशन नंबरों और फर्जी विज्ञापनों के माध्यम से इन सिगरेटों की बिक्री से प्राप्त नकदी को मेसर्स डीडीपीपीएल के खातों में स्थानांतरित किया गया था। जांच में फर्जी टैक्स बिल बनाने और अखबारों के सर्कुलेशन के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का खुलासा हुआ, जिनका इस्तेमाल इस बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किया गया था। आरोप है कि अवैध रूप से प्राप्त धन को कई लेन-देनों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए छिपाया गया था। इस मामले में अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) 11.66 करोड़ रुपये से अधिक पाया गया है।

जांच के दौरान ईडी, इंदौर स्थित ने 11.33 करोड़ रुपये का अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया था।
